अनुलग्नक -1

(पैराग्राफ 1.1 के संदर्भ में)

संक्षिप्तियां और शब्दावली

ए एफ	वायु सेना
ए एफ आर ओ	वायु सेना अभिलेख कार्यालय
ए जी	महालेखाकार
सशस्त्र सेनाएं	सशस्त्र सेनाओं का तात्पर्य सिविलियनों को छोड़कर थल सेना, नौ सेना, वायु सेना, रक्षा सुरक्षा कोर एवं प्रादेशिक सेना से है।
सी ए ए	सतत परिचर्या भत्ता
सी ए एस	केंद्रीय लेखा अनुभाग
सी बी एस	कोर बैंकिंग प्रणाली
सी सी एस	केंद्रीय सिविल सेवाएं
सी डी ए (ए एफ)	रक्षा लेखा नियंत्रक (वायु सेना)
सी डी ए (पी डी)	रक्षा लेखा नियंत्रक (पेंशन वितरण)
सी जी ए	लेखा महानियंत्रक (वित्त मंत्रालय में)
सी जी एस	तट रक्षक सेवा
सी जी डी ए	रक्षा लेखा महानियंत्रक
सी जी ओ	तट रक्षक संगठन
सी पी ए ओ	केंद्रीय पेंशन लेखाकरण कार्यालय
सी पी पी सी	केंद्रीकृत पेंशन प्रसंस्करण केंद्र
सी आर ओ	मुख्य अभिलेख कार्यालय
डी ए डी	रक्षा लेखा विभाग
डी ए वी	सेवानिवृत्त वायु सैनिकों का निदेशालय
डी सी आर जी	मृत्यु - सह - सेवानिवृति उपदान

डी ई	अशक्तता घटक
अशक्तता पेंशन	यदि अशक्तता सैनिक सेवा के कारण होती है अथवा उसके कारण उसमें वृद्धि होती है और अशक्तता 20 प्रतिशत या उससे अधिक होती है, तो अशक्तता पेंशन प्रदान की जाती है।
डी एम ए	दिनांकवार मासिक लेखे
डी ओ डी	सेवामुक्ति का दिनांक
डी पी डी ओ	रक्षा पेंशन वितरण कार्यालय
डी एस सी	रक्षा सुरक्षा कोर
ई सी एच एस	भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना
ई एम ई	इंजीनियर सैन्य सेवा
ई एस डब्ल्यू	भूतपूर्व सैनिक कल्याण
ई - स्क्रॉल	इलेक्ट्रॉनिक रूप से जनित भुगतान स्क्रॉल
परिवार पेंशन	मृत्यु की परिस्थितियों के आधार पर विधवा/ निकटतम संबंधी को परिवार पेंशन प्रदान की जाती है।
एफ एम ए	स्थायी चिकित्सा भत्ता
उपदान	उपदान में सेवा/ निवृत्ति/ सेवा निवृत्ति/ मृत्यु/परिवार/इलवैलिड/विशेष/अंतिम उपदान शामिल हैं।
जी आर ई एफ	सामान्य रिजर्व इंजीनियर्स फोर्स
एच के एस आर ए आर	हॉगकॉग सिंगापुर रॉयल आर्टिलेरी रेजिमेंट
अवैध पेंशन	चिकित्सा कारणों से सेवामुक्त होने पर दिया जाने वाला अवैध पेंशन
जे ए के एल आई	जम्मू और कश्मीर लाइट इन्फेन्ट्री
जे सी डी ए	रक्षा लेखा संयुक्त नियंत्रक

आई सी ओ	भारतीय कमीशन - प्राप्त अधिकारी
जे सी ओ	कनिष्ठ कमीशन - प्राप्त अधिकारी
एल एफ पी	उदारीकृत परिवार पेंशन
एम आई एस	प्रबंधन सूचना प्रणाली
एम एन एस	सैन्य परिचर्या सेवाएं
एम ओ डी	रक्षा मंत्रालय
एन सी सी	राष्ट्रीय कैडेट कोर
एन सी (ई)	अयोधी (पंजीकृत)
एन ओ के	निकटतम संबंधी
ओ एफ पी	सामान्य परिवार पेंशन
ओ पी ए	विदेशी अदायगी अभिकर्ता
ओ आर	अन्य श्रेणी
पी ए ओ	भुगतान एवं लेखा अधिकारी
पी बी ओ आर	अधिकारी श्रेणी से निम्न कार्मिक
पी सी डी ए (पी)	रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक (पेंशन)
पी डी ए	पेंशन वितरण प्राधिकारी/ एजेंसी
पेंशन	जब उपदान को अलग दिखलाते हुए पेंशन शब्द का प्रयोग किया जाता है, उस स्थिति को छोड़कर पेंशन में, उपदान भी शामिल है, परंतु मंहगाई राहत सम्मिलित नहीं हैं।
पी पी आई	पेंशन भुगतान अनुदेश
पी पी ओ	पेंशन भुगतान आदेश
पी एस ए	पेंशन संस्वीकृति प्राधिकारी
पी एस बी	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक
क्यू एस	अर्हक सेवा
आर बी आई	भारतीय रिज़र्व बैंक

निवृत्ति उपदान/सेवा उपदान	जो अधिकारी, सेवानिवृत्त होता हैं/ जिसे सेवानिवृत्त होने की अनुमति प्राप्त होती है अथवा जिसकी सेवाएं अन्यथा समाप्त की जाती है और निवृत्ति पेंशन के योग्य नहीं है, उसे निवृत्ति उपदान प्रदान किया जाएगा।
निवृत्ति पेंशन/ सेवा पेंशन	निवृत्ति पेंशन अधिकारियों को दी जाती हैं। सेवा पेंशन नियमित न्यूनतम अर्हक सेवा के बाद सेवानिवृत्त होने वाले पी बी ओ आर को दी जाती है।
सेवानिवृत्ति उपदान/ मृत्यु उपदान	सेवानिवृत्ति उपदान उन सेवा कार्मिकों को अनुज्ञेय है, जिन्होंने पॉच वर्षों की यथार्थ अर्हक सेवा पूरी की है और निवृत्ति/ सेवा/ अवैध/ विशेष/ अशक्तता/ युद्ध - क्षति/ उदारीकृत अशक्तता पेंशन या निवृत्ति/ सेवा/ विशेष उपदान के लिए पात्र है। सेवा में रहते हुए यदि सेवा कार्मिक की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को मृत्यु उपदान अनुज्ञेय है।
आर ओ	अभिलेख कार्यालय
एस एफ पी	विशेष परिवार पेंशन
टी ओ	कोषागार अधिकारी
यू के	युनाइटेड किंगडम
ज़ेड ओ (पी डी)	अंचल अधिकारी (पेंशन वितरण)

अनुलग्नक - 2

(पैराग्राफ 1.2 के संदर्भ में)

(क) पेंशन प्रबंधन प्रणाली के अंशधारक

अभिलेख कार्यालय

अधिकारी श्रेणी से निम्न कार्मिकों (पी बी ओ आर) के लिए पेंशन के मामले थल सेना, नौ सेना और वायु सेना के अभिलेख कार्यालयों (आर ओ) द्वारा प्रारंभ किए जाते हैं, जो सशस्त्र बलों के कार्मिकों के सेवा अभिलेखों का अनुरक्षण करते हैं। अभिलेख कार्यालय संपूर्ण केस फाइल संबंधित पेंशन संस्वीकृति प्राधिकारियों (पी एस ए) को भेजते हैं, जो पेंशन का प्राधिकार देते हैं तथा उसे पेंशन वितरण एजेंसियों (पी डी ए) को भेजते हैं, जैसा कि नीचे फ्लो **चार्ट 5** में दर्शाया गया है:-

फ्लो चार्ट 5: पेंशन दावों का प्रसंस्करण

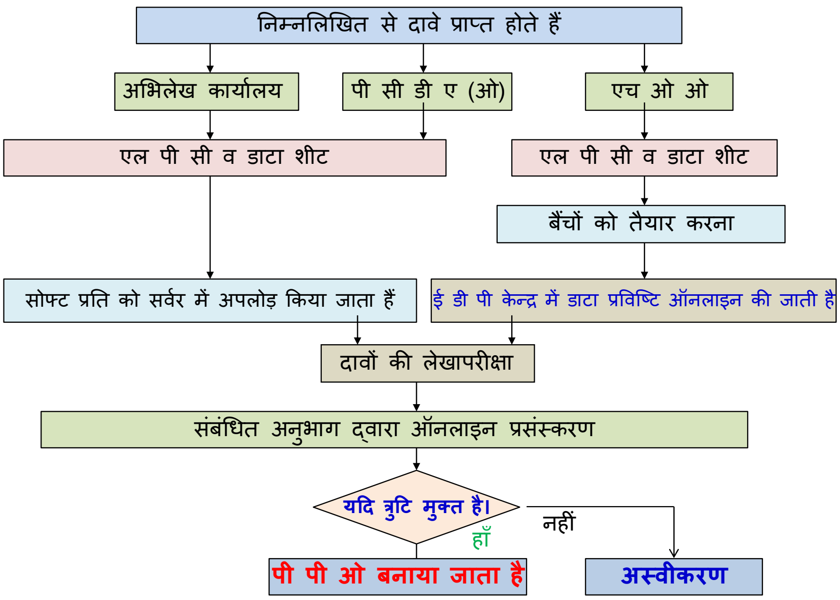

एच ओ ओ- कार्यालयाध्यक्ष   ई डी पी- इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रसंस्करण   एल पी सी- अंतिम वेतन प्रमाण पत्र

पेंशन संस्वीकृति प्राधिकारी (पी एस ए)

पेंशन संस्वीकृत करने के लिए निम्नलिखित तीन पी एस ए जिम्मेदार है:

1. रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक (पेंशन), इलाहाबाद
2. रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक (नौ सेना), मुंबई
3. रक्षा लेखा नियंत्रक (वायु सेना), नई दिल्ली

पी एस ए पेंशन भुगतान आदेश (पी पी ओ) जारी करते हैं, जो पी डी ए को भेजे जाते हैं, जो पेंशनरों के खातों में पेंशन की अदायगी करते हैं। इस प्रक्रिया को **फ्लो चार्ट - 6** में दर्शाया गया है:

फ्लो चार्ट 6 : पेंशन भुगतान आदेश की प्रक्रिया

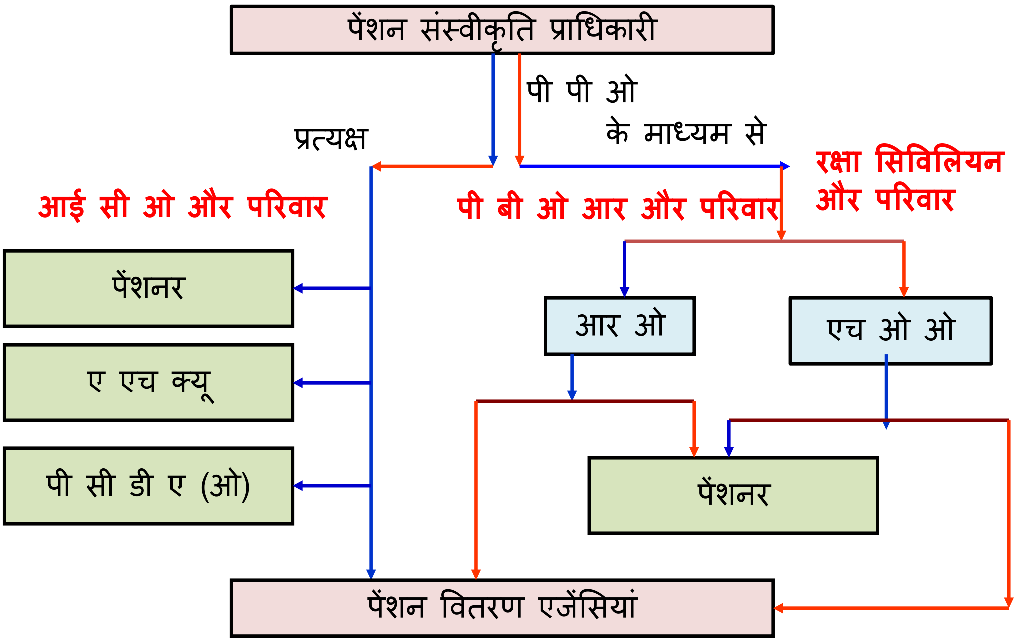

पेंशन वितरण एजेंसियां (पी डी ए)

भारत तथा नेपाल में रक्षा पेंशन का भुगतान पेंशन वितरण एजेंसियों (पी डी ए) के माध्यम से किया जाता है, जिसे निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है:-

1. **बैंकः** सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (25)/ निजी क्षेत्र के बैंक (03) 51 केंद्रीकृत पेंशन प्रसंस्करण केंद्रों (सी पी पी सी) से नियंत्रित 46,000 शाखाओं के माध्यम से रक्षा पेंशन का भुगतान करते हैं। सी पी पी सी पेंशन भुगतान/ वसूली स्क्रॉल (सक्रॉल में पेंशनरों से की गई वसूलियों का विवरण भी समाविष्ट होता है) तैयार करते हैं और उसे पी सी डी ए (पी) को प्रस्तुत करते हैं। साथ-साथ, वे नागपुर स्थित अपने संपर्क कक्षों के माध्यम से भारतीय रिजर्व बैंक (आर बी आई), सी ए एस, नागपुर से राशि की प्रतिपूर्ति की मांग करते हैं। बैंक अपनी कोर बैंकिंग प्रणाली के माध्यम से पेंशन भुगतानों पर कार्यवाही करते हैं।

2. **रक्षा पेंशन वितरण कार्यालय (डी पी डी ओ):** सी डी ए (पी डी), मेरठ और सी डी ए, चैन्नई के प्रशासनिक नियंत्रण में रक्षा लेखा विभाग के 63 डी पी डी ओ

कार्य करते हैं। डी पी डी ओ द्वारा वितरित पेंशन को उनके द्वारा संबद्ध पेंशन लेखाकरण शीर्ष में बुक किया जाता है और प्रत्येक माह में दत्त वाउचरों को सीधे सी डी ए (पीडी) मेरठ/सी डी ए चेन्नै को भेजा जाता है। डी पी डी ओ के पास उपलब्ध डाटा का प्रसंस्करण करने तथा पेंशन भुगतान सूची बनाने के लिए 1998 में **आश्रय परियोजना** का कार्यान्वयन किया गया।

3. **राज्य कोषागार (640):** कोषाधिकारी, पेंशन का भुगतान करने के बाद दत्त वाउचर पी सी डी ए (पी) इलाहाबाद को सीधे भेजते हैं और साथ-साथ रक्षा पेंशन के लिए उनके द्वारा दत्त राशि की प्रतिपूर्ति के लिए उस राज्य के महालेखाकार से परामर्श करते हैं। महालेखाकारों द्वारा दावा की गई राशि की, चैक द्वारा पी सी डी ए से प्रतिपूर्ति की जाती है।

4. **भुगतान एवं लेखा कार्यालय (05):** रक्षा पेंशन के लिए दत्त वाउचरों तथा दत्त राशि की प्रतिपूर्ति के दावे दोनों ही, पी सी डी ए (पी) द्वारा संबंधित पी ए ओ से सीधे प्राप्त किए जाते हैं। यह लेनदेन संबंधित पी ए ओ के पक्ष में चैक जारी करके नकद में निपटायी जाती है।

5. **सैन्य और एयर अताशे, भारतीय दूतावास, काठमांडू, नेपाल:** नेपाल में रहने वाले रक्षा पेंशनरों को किए जाने वाले पेंशन भुगतान से संबंधित लेनदेन का आर बी आई, सी ए एस, नागपुर के द्वारा मुख्य लेखानियंत्रक, विदेश मंत्रालय, नई दिल्ली और पी सी डी ए (पी), इलाहाबाद के बीच निपटारा किया जाता है। इस प्रयोजन के लिए, नेपाल के भारतीय दूतावास द्वारा पेंशन भुगतान वाउचर पी सी डी ए (पी) को भेजे जाते हैं।

6. **डाकघर, कठुआ, जम्मू और कश्मीर:** डाकघर, निदेशक डाकघर के माध्यम से आर बी आई, सी ए एस, नागपुर को नामे संज्ञापन भेजते हैं। आर बी आई, सी ए एस, नागपुर रक्षा प्रोफार्मा लेखे से विकलित करता है और डाक विभाग को जमा करता है।

भारतीय रिज़र्व बैंक

रक्षा पेंशनरों को पी डी ए द्वारा दत्त पेंशन के संबंध में उनके द्वारा दावा की गई राशि की प्रतिपूर्ति आर बी आई पी डी ए को करता है।

(ख) निष्पादन लेखापरीक्षा के लिए चयनित इकाइयां

रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक (पी), इलाहाबाद

ई डी पी अनुभाग, लेखा अनुभाग, लेखापरीक्षा अनुभाग, पेंशन अदालत अनुभाग, विधिक एवं शिकायत कक्ष

केंद्रीकृत पेंशन प्रसंस्करण केंद्र (सी पी पी सी)

1. सी पी पी सी, एस बी आई, दिल्ली 2. सी पी पी सी, एस बी आई, पंचकुला; 3. सी पी पी सी, एस बी आई, नवी मुंबई; 4. सी पी पी सी, एस बी आई, चेन्नै; 5. सी पी पी सी, एस बी आई, पटना; 6. सी पी पी सी, एस बी आई, गुवाहटी; 7. सी पी पी सी, पी एन बी, पटना; 8. सी पी पी सी, पी एन बी, चण्डीगढ़; 9. सी पी पी सी, पी एन बी, लुधियाना; 10. सी पी पी सी, पी एन बी, चेन्नै; 11. सी पी पी सी, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर और जयपुर; 12. सी पी पी सी, सी बी आई, मुंबई; 13. सी पी पी सी, इलाहाबाद बैंक, लखनऊ; 14. सी पी पी सी, आन्ध्र बैंक, हैदराबाद; 15. सी पी पी सी, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, पुणे; 16. सी पी पी सी, बैंक ऑफ बड़ौदा, नई दिल्ली।

कोषागार

1. कोषागार, उधमसिंह नगर (उत्तराखंड) ; 2. कोषागार, पौरी गढ़वाल (उत्तराखंड) ; 3. कोषागार, बल्लिया (उ.प्र.) ; 4. कोषागार, हरदोई (उ.प्र.) ; 5. कोषागार, फिरोज़ाबाद, (उ.प्र.) ; 6. कोषागार, फरूखाबाद (उ.प्र.) ; 7. कृष्णगिरी (तमिलनाडू) ; 8. कोषागार, कोषिकोड (केरल) ;।

रक्षा पेंशन वितरण कार्यालय (डी पी डी ओ)

1. डी पी डी ओ, झुन्झुनु; 2. डी पी डी ओ, भठिडां; 3. डी पी डी ओ, बटाला; 4. डी पी डी ओ, हमीरपुर; 5. डी पी डी ओ, उणा; 6. डी पी डी ओ, सिकन्दराबाद; 7. डी पी डी ओ, मेरठ; 8. डी पी डी ओ, गोरखपुर; 9. डी पी डी ओ, इलाहाबाद; 10. डी पी डी ओ, एरनाकुलम; 11. सी डी ए (पेंशन वितरण), मेरठ; 12. अंचल कार्यालय, (पेंशन वितरण), चैन्नई।

डाकघर

डाकघऱ, कठुआ (जम्मू और कश्मीर)

भारतीय दूतावास, नेपाल के पेंशन भुगतान कार्यालय

1. सैन्य अताशे, काठमांडू (नेपाल); 2. भुगतान कार्यालय, धरान (नेपाल); 3. भुगतान कार्यालय, पोखरा (नेपाल)।

अभिलेख कार्यालय

1. अभिलेख कार्यालय, राजपुताना राइफल्स; 2. अभिलेख कार्यालय, जाट रेजिमेंट; 3. अभिलेख कार्यालय, सेना चिकित्सा कोर; 4. अभिलेख कार्यालय, 14 जी टी सी, सबाथू; 5. अभिलेख कार्यालय, बी ई जी, रूड़की; 6. अभिलेख कार्यालय, मद्रास रजिमेन्टल सेंटर, वेल्लिंगटन; 7. अभिलेख कार्यालय, ई एम ई, सिकन्दराबाद; 8. अभिलेख कार्यालय, ए एस सी (आपूर्ति) (दक्षिण), बेंगलूर; 9. सेवानिवृत्त वायु सैनिकों का निदेशालय, दिल्ली; 10. अभिलेख कार्यालय (नौ सेना), मुंबई।

अनुलग्नक - 3

(पैराग्राफ 2.3.4 के संदर्भ में)

(संघ सरकार के लेखे 2014-15 पर सी ए जी की 2015 की प्रतिवेदन संख्या 50 (वित्तीय लेखापरीक्षा) के पैरा 4.14 का सार)

4.14 रक्षा मंत्रालय में बजट का गलत अनुमान

2014-15 के लिए मांग सं. 21- रक्षा पेंशन में राजस्व (दत्तमत) खंड में ₹50,999.30 करोड़ का वैधानिक अनुमोदन प्राप्त किया गया था। वर्ष के दौरान, संशोधित अनुमानों के चरण में वित्त मंत्रालय (एम ओ एफ) द्वारा मांग के इस खंड के अंतर्गत किए गए प्रावधान को ₹1,000 करोड़ तक कम किया गया, यद्यपि रक्षा मंत्रालय (एम ओ डी) ने ₹53,824 करोड़ का अनुमानित व्यय प्रक्षेपित किया था। वर्ष के दौरान, रक्षा पेंशन के लिए ₹49,985.18 करोड़ का व्यय बुक किया गया, जिसके फलस्वरूप ₹1,014.12 करोड़ की बचत हुई, जिसे अनुदान के मुख्य लेखाकरण प्राधिकारी अर्थात् सचिव, रक्षा मंत्रालय द्वारा विधिवत, अनुमोदित किया गया।

इसके बाद नवंबर 2015 में, इस मॉग के विनियोजन लेखाओं को संशोधित किया गया, जिसके द्वारा ₹50,999.30 करोड़ के वैधानिक अनुमोदन के विरूद्ध राजस्व दत्तमत के अंतर्गत ₹60,435.20 करोड़ का व्यय बुक किया गया। इसके परिणामस्वरूप ₹9,435.90 करोड़ का अधिक व्यय हुआ। व्यय की राशि को इस आधार पर संशोधित किया गया था कि उचंत शीर्षों के अंतर्गत पड़े ₹ 10,450.03 करोड़ के पेंशन भुगतान स्क्रॉलों, जो वित्तीय वर्ष 2015-16 में किया गया था, को वित्तीय वर्ष 2014-15 में ही समायोजित किया जाना था।

जूलाई 2015 में इस मॉग की लेखापरीक्षा के दौरान संशोधित अनुमानों के आधार पर ₹1,009.30 करोड़ के अविवेकपूर्ण अभ्यर्पण के संबंध में प्रश्न उठाया गया, हालांकि 2014-15 लेखाओं में अंतिम लेखा शीर्ष में बुकिंग के लिए ₹10,450.03 करोड़ के पेंशन स्क्रॉल लंबित थे। तथापि एम ओ डी द्वारा कोई ठोस उत्तर प्रदान नहीं किया गया। अनुमोदन के लिए उचंत शीर्षों में पड़े पेंशन भुगतान स्क्रॉलों के विशाल संचयन को देखते हुए एम ओ डी को वित्तीय वर्ष 2014-15 में किए जाने वाले प्रावधान में वृद्धि हेतु एम ओ एफ के साथ यह मामला बहुत पहले ही उठाना चाहिए था, जिससे पेंशन पर पहले से व्यय की गई राशि को अंतिम लेखा शीर्ष में बुक किया जा सकता था। इसके स्थान पर, एम ओ डी ने 2014-15 के लिए मात्र ₹53,824 करोड़ के व्यय का गलत संशोधित अनुमान ही प्रक्षेपित किया और एम ओ एफ द्वारा कम प्रावधान किए जाने का विरोध नहीं किया। इसके अलावा, एम ओ डी ने

₹49,985.18 करोड़ का व्यय बुक किया तथा पहले से किए गए व्यय को उचंत शीर्ष के अंतर्गत रखने के बावजूद ₹1,014.12 करोड़ की बचत दिखाई।

पेंशन भुगतान एक प्रतिबद्ध व्यय होने तथा रक्षा पेंशनों की माँग में लगातार अधिक व्यय की प्रवृत्ति को देखते हुए एम ओ डी में प्रारंभिक बजट अनुमान बनाने की प्रक्रिया की समीक्षा करने और उसे अधिक यथार्थपरक बनाने की अति आवश्यकता है।

अनुलग्नक - 4

(पैराग्राफ 3.1.2 के संदर्भ में)

(क) पेंशन भुगतान आदेशों (थल सेना) के प्रसंस्करण की समय-सीमा

क्र.सं.	विवरण	समय-सीमा	फ्लो-चार्ट
1.	इकाइयों द्वारा अभिलेख कार्यालय को	अभिलेख कार्यालय को 08 महीने पहले	इकाई ↓ आर ओ ↓ पी ए ओ (ओ आर) ↓ आर ओ ↓ पी सी डी ए (पी) ↓ आर ओ ↓ पी डी ए
2.	अभिलेख कार्यालय द्वारा पी ए ओ (ओ आर) को	पी ए ओ (ओ आर) को 06 महीने पहले	
3.	पी ए ओ (ओ आर) द्वारा संबंधित अभिलेख कार्यालय के माध्यम से पी सी डी ए (पी) को	अभिलेख कार्यालय के माध्यम से पी सी डी ए (पी) को 04 महीने पहले	
4.	अभिलेख कार्यालय कूरियर द्वारा पी सी डी ए (पी) को	पी सी डी ए (पी) को 04 महीने पहले	
5.	पी पी ओ बनाना और उसे अभिलेख कार्यालय को सौंपना	पी पी ओ बनाना और 02 महीने पहले अभिलेख कार्यालयों के कूरियर को सौंपना	
6.	अभिलेख कार्यालय द्वारा पी पी ओ की मूल प्रति पी डी ए को प्रेषित करना	पी पी ओ की मूल प्रति सेना से संबंधित व्यक्ति की सेवामुक्ति की तिथि से एक महीना पहले पी डी ए को प्रेषित करना	
		पी पी ओ की प्रति संबंधित व्यक्ति को एक महीना पहले साथ-साथ जारी की जानी है।	
		पी पी ओ की व्यक्तिगत प्रति आर एल सं. एवं दिनांक सहित डिपो कॉइ में सेवा के अंतिम सप्ताह में सौंपी जानी चाहिए।	

(प्राधिकारः एम ओ डी (थल सेना) का एकीकृत मुख्यालय अपर महानिदेशालय एम पी/एम पी-8 आर का आई) एडजूटन्ट जनरल शाखा नई दिल्ली के दिनांक 18 नवंबर 2013 के पत्र सं. ए/20037/निर्णय/एमपी-8(आर का आई) (ए) का पैरा 3 (एफ))

(ख) पेंशन भुगतान आदेशों (वायु सेना) के प्रसंस्करण की समय-सीमा

समय-सीमा	फ्लो-चार्ट	कार्यकलाप	समायावधि	फ्लो-चार्ट
ए टी डी-9	आर डब्ल्यू - एल सी- पी एंड डब्ल्यू (एस पी)	जाँच/मीडिया अद्यतनीकरण तथा सेवा पेंशन हेतु आगे प्रस्तुत करने के लिए पी 5 से एल सी सहित मिलान किए गए और लेखापरीक्षित आर सी एस आर प्रस्तुत करना	अंतिम अनुमोदन के बाद एक महीने के अंदर	इकाई ↓ अभिलेख स्कंध ↓ डी ए वी (पेंशन
ए टी डी-8	पी एंड डब्ल्यू (एस पी) - एल सी - एएफ सी ए ओ (सी सी एस)	आर सी एस आर/ यू सी एस आर के साथ पेंशन दावों की जॉच करना, एल पी सी डी एस जारी करना तथा आर सी एस आर, पी 5 पेंशन दावे और एल पी सी डी एस की प्रस्तुति जॉच/मीडिया अद्यतनीकरण तथा ए एफ सी ए (सी सी एस) को आगे प्रस्तुत करने के लिए एल सी को करना।	01 महीना	

समय-सीमा	फ्लो-चार्ट	कार्यकलाप	समायावधि	फ्लो-चार्ट
ए टी डी-7	ए एफ सी ए ओ (सी सी एस) - एल सी - जे सी डी ए (पूर्व - एन ई)	पिछले तीन वर्षों का लेखापरीक्षित आई आर एल ए संलग्न करना, एल पी सी डी एस में आवश्यक सूचना प्रदान करना। जॉच/मीडिया अद्यतनीकरण तथा नियंत्रण शीट एवं नियंत्रण नंबर के साथ जे सी डी ए (पूर्व-एनई) को प्रस्तुत करने के लिए एल सी को आर सी एस आर, पी 5, एल पी सी डी एस, आई आर एल ए और पेंशन दावे प्रस्तुत करना	01 महीना	स्कंध) ↓ ए एफ सी ए ओ ↓
ए टी डी-4	जे सी जी ए (पीसी) (पी 5 एंड पी पी) जे सी डी ए (पूर्व-एन ई) एल सी -एफ सी ए ओ (सी सी एस) (आई आर एल ए सेट) -आर डब्ल्यू (उत्तर-एन ई) (आर सी एस आर)	पूर्व-एनई लेखापरीक्षा की जाएगी। पी पी ओ जारी करने के लिए पेंशन दावे, पी 5, एल पी सी डी एस आदि जे सी डी ए (पें-III) को प्रस्तुत करना और उसके बाद जॉच/मीडिया अद्यतनीकरण और क्रमशः आर डब्ल्यू (उत्तर-एनई) एवं ए एफ सी ए ओ (सी सी एस) को आगे प्रस्तुत करने के लिए आर सी एस आर और आई एल आर ए सेट एल सी को वापस करना	03 महीना	जे सी डी ए (ए एफ) ↓ डी ए वी (पेंशन स्कंध) ↓
ए टी डी-2-डी	जे सी डी ए (पीसी) - पी एंड डब्ल्यू (एस पी)	केस फाइल की अंतिम लेखापरीक्षा, पेंशन भुगतान आदेश जारी करने के लिए सूची का संपादन, पी पी ओ, पेंशन बही, पी 5 और अन्य संबद्ध प्रलेखों का मुद्रण तथा ए एफ आर ओ (सेवा पेंशन (अनुभाग) को उनकी प्रस्तुति।	02 महीने	पी डी ए

(प्राधिकारः एयर एच क्यू/41005/नीति/पी ए-III दिनांक 11 अप्रैल 2007 का अनुलग्नक - I)

(ग) पेंशन भुगतान आदेशों (नौ सेना) के प्रसंस्करण की समय सीमा

क्र.सं.	विवरण	समय-सीमा	फ्लो चार्ट
1.	रिलीस क्रम के प्रख्यापन पर ऑनलाइन में पेंशन प्रपत्रों का अग्रेषण/पेंशन प्रपत्रों की उपलब्धता	रिलीस के 12 महीने पहले	एन ए वी पी ई एन ↓
2.	एन ए वी पी ई एन की इकाइयों से पेंशन प्रपत्रों एवं लेखापरीक्षित सेवा प्रलेखों की प्राप्ति	रिलीस के 11 महीने पहले	अंतिम इकाई ↓
3.	एन ए वी पी ई एन में रिलीस मेडिकल बोर्ड (आर एम बी) कार्यवाहियों की प्राप्ति	रिलीस के 06 महीने पहले	एन ए वी पी ई एन ↓
4.	एन ए वी पी ई एन द्वारा स्थानीय रिलीस सेवामुक्ति आदेश (एल आर डी ओ) का जारीकरण	रिलीस के 06 महीने पहले	आई आर एल ए ↓
5.	नौ सेना वेतन कार्यालय से अंतिम आहरित वेतन प्रमाणपत्र (एल पी डी सी) की प्राप्ति	रिलीस के 05 महीने पहले	
6.	पी सी डी ए (एन)/ आई आर एल ए को पेंशन दावे का अग्रेषण	रिलीस के 04 महीने पहले	पी सी डी ए (एन) एम बी ↓
7.	पी सी डी ए (एऩ) मुंबई से पी पी ओ की प्राप्ति	रिलीस के 02 महीने पहले	
8.	व्यक्तियों को पी पी ओ का जारीकरण	रिलीस के अंतिम दिन में	एन ए वी पी ई एन ↓
9.	पेंशन वितरण एजेंसी (पी डी ए) को पी पी ओ का प्रेषण	रिलीस के बाद 07 दिनों के अंदर	
10.	पेंशन का प्रारंभ	रिलीस का अगला महीना	पी डी ए

(प्राधिकारः नौ सेना आदेश 17/2013 तथा नौ सेना पेंशन कार्यालय आदेश सं. पें/एस/600 दिनांक 08 जून 2017 के अनुसार)

अनुलग्नक - 5

(पैराग्राफ 4.2 के संदर्भ में)

पेंशन के अल्प भुगतान के उदाहरण

(i) 1120 पेंशनरों को ₹62.59 करोड़ की संशोधित मूल पेंशन नहीं मिली, क्योंकि पी डी ए ने पी सी डी ए (पी) के दिनांक 17 जनवरी 2013 के परिपत्र सं. 501 के अनुसार पेंशन को संशोधित नहीं किया अथवा गलत प्रकार से संशोधित किया।

(ii) सी पी पी सी, एस बी आई, दिल्ली तथा यू एस नगर एवं पौड़ी गढ़वाल के कोषागारों से संबंधित 418 पेंशनरों को ₹1.62 करोड़ का कम भुगतान किया गया, क्योंकि सिस्टम में प्रविष्ट अर्हक सेवा या तो गलत थी या अर्हक सेवा को पूर्णांकित करने की प्रक्रिया निर्धारित प्रकार से नहीं की गई थी।

(iii) एस बी आई, सी पी सी सी गुवाहाटी और सी पी पी सी, बी ओ बी, नई दिल्ली में 229 मामलों में ₹3500 की न्यूनतम मूल अदायगी नहीं की गई। बी ओ बी ने इसके लिए सॉफ्टवेयर अंतरण को कारण बताया, जबकि सी पी पी सी, गुवाहाटी ने इसके बारे में इंगित किए जाने पर मामलों को संशोधित किया।

(iv) आश्रय परियोजना (डी पी डी ओ) के सॉफ्ट डाटा के विश्लेषण से पता चला कि 37 पेंशनरों को न्यूनतम पेंशन से भी कम मूल पेंशन दिया गया था।

(v) 1826 पेंशनरों को ₹4.19 करोड़ का कम भुगतान किया गया था क्योंकि पी डी ए[1] ने निर्धारित 15 वर्षों के बाद पेंशन के रूपांतरित अंश को पुनः स्थापित नहीं किया था। एम ओ डी ने बकाया राशि का भुगतान करने पी डी ए को निर्देश दिया।

(vi) पी डी ए द्वारा एफ एम ए (स्थायी चिकित्सा भत्ता) को संशोधित न करने के कारण 11,164 पेंशनरों को ₹5.76 करोड़ के स्थायी चिकित्सा भत्ते का भुगतान नहीं किया गया।

(vii) 79 पेंशनरों को ₹38.14 लाख का कम भुगतान किया गया था क्योंकि पी डी ए ने सतत् परिचर्या भत्तों (सी ए ए) की दरों को संशोधित नहीं किया, जो

[1] सी पी पी सी, एस बी आई, दिल्ली और पटना, पी एन बी पटना, इलाहाबाद बैंक, लखनऊ, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, पुणे और सहायक कोषाधिकारी कृष्णगिरी

तब संस्वीकृत किया जाता है, जब 100 प्रतिशत अशक्तता के लिए अशक्तता पेंशन दी जाती है।

(viii) पी डी ए[2] द्वारा निम्नतर दर पर अशक्तता घटक (डी ई) का भुगतान करने/ डी ई का संशोधन न करने के कारण 35 पेंशनरों को ₹46.80 लाख का कम भुगतान किया गया था।

(ix) 1,254 पेंशनरों को ₹10.89 करोड़ का कम भुगतान किया गया था, क्योंकि पी डी ए[3] ने ब्रॉड बैंडिंग के लिए भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग के आदेश (जनवरी 2010) को कार्यान्वित नहीं किया तथा पी सी डी ए (पी) द्वारा अशक्तता घटक का संशोधन नहीं किया गया। डी पी डी ओ, इलाहाबाद और गोरखपुर द्वारा 297 पेंशनरों को ब्रॉड-बैंडिंग का लाभ नहीं दिया गया।

(x) 80, 85, 90, 95 और 100 वर्ष के आयु वर्ग में आने वाले वरिष्ठ नागरिकों को उच्चतर दरों पर अतिरिक्त पेंशन स्वीकार्य है। पी डी ए द्वारा अतिरिक्त पेंशन में संशोधन न करने/ गलत संशोधन करने के कारण 80 वर्ष के ऊपर आयु वाले 864 पेंशनरों को ₹1.67 करोड़ का भुगतान नहीं किया गया।

(xi) सी पी पी सी, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, मुंबई के सोफ्ट डाटा में 83 परिवार पेंशनरों की जन्म तिथि मूल सेवा पेंशनर की जन्म तिथि के समान थी।

(xii) 49 मामलों में, विभिन्न वीरता पुरस्कारों के लिए सरकार द्वारा निर्धारित किए गए वित्तीय भत्तों का भुगतान नहीं किया गया और इसके फलस्वरूप ₹34.46 लाख की कम अदायगी हुई।

(xiii) डी पी डी ओ, इलाहाबाद में आठ वर्षों के बाद भी पेंशन का संशोधन न करने के कारण 2006 - पूर्व 15 पेंशनरों को केवल न्यूनतम पेंशन मिल रही थी, क्योंकि पेंशन मामलों को संशोधित करने की मूलभूत जानकारी उपलब्ध नहीं थी। पेंशनरों की केस फाइलों में अपेक्षित जानकारी प्राप्त करने के लिए किए गए किसी पत्राचार का कोई साक्ष्य नहीं मिला।

[2] सी पी पी सी, एस बी आई दिल्ली, नवी मुंबई और पटना, कोषागार पौड़ी गढ़वाल और डी पी डी ओ एरनाकुलम

[3] सी पी पी सी, एस बी आई, दिल्ली (7), सी डी ए (पी डी) (1123) और सी पी पी सी, इलाहाबाद बैंक, लखनऊ (124)

अनुलग्नक - 6

(पैराग्राफ 4.2 और 4.3 के संदर्भ में)

2011-12 से 2015-16 तक पांच वर्षों के डाटा विश्लेषण के परिणाम

क्र.सं.	विषय	अल्प भुगतान (₹ लाख में)	अधिक भुगतान (₹ लाख में)
1	न्यूनतम सेवा पेंशन का अल्प भुगतान	2652.15	
2	महंगाई राहत का अधिक भुगतान		6812.08
3	अप्रैल 2003 के बाद सेवानिवृत्त पेंशनरों के लिए स्थायी चिकित्सा भत्तों का भुगतान		140.66
4	ई सी एच एस में पंजीकृत पेंशनरों के लिए स्थायी चिकित्सा भत्ते का भुगतान		2946.78
5	स्थायी चिकित्सा भत्ता का संशोधन न करने के कारण अल्प भुगतान	891.23	
6	स्थायी चिकित्सा भत्ता का अधिक भुगतान		108.06
7	परिवार पेंशन की संवर्धित दर का अधिक भुगतान		1169.67
8	विशेष परिवार पेंशन (एस एफ पी) का गलत संशोधन		189.19
9	विशेष परिवार पेंशन का अल्प-संशोधन	2229.31	
10	सामान्य परिवार पेंशन का अधिक नियतन		9926.08
11	सामान्य परिवार पेंशन का अल्प नियतन	3124.23	
12	निम्नतर दर पर अतिरिक्त पेंशन का भुगतान	1827.28	
13	अतिरिक्त पेंशन का भुगतान न करना	929.59	
14	80 वर्ष की आयु से पूर्व अतिरिक्त पेंशन का भुगतान		674.9
15	सेना अधिकारियों के बराबर सिविलियन एन सी सी अधिकारियों की पेंशन का गलत नियतन		118.08
16	अशक्तता पेंशन का अल्प नियतन	81.58	
17	अशक्तता पेंशन का अधिक नियतन		67.71
18	100 प्रतिशत अशक्तता के बिना सतत् परिचर्या भत्ता का भुगतान		37.56
19	अशक्त घोषित व्यक्तियों की अशक्तता पेंशन का ब्रॉड-बैंडिंग न किया जाना	163.97	
20	अशक्तता पेंशन का गलत ब्रॉड-बैंडिंग		19.36
21	पेंशन के रूपांतरित मूल्य की गैर-वसूली		5180.21
22	पेंशन के रूपांतरित मूल्य का गैर-पुनः स्थापन	1706.73	
23	परिवार पेंशनरों से पेंशन के रूपांतरित मूल्य की वसूली	19.50	
24	रिज़र्व-सैनिकों को पेंशन का अधिक भुगतान		1143.25
25	सेवा पेंशन का अधिक नियतन		23337.11
26	सेवा पेंशन का अल्प नियतन	9205.79	
27	सतत परिचर्या भत्ता (सी ए ए) का गैर-संशोधन	32.39	
28	वीरता पुरस्कारों से जुड़ी मौद्रिक भत्ता का गैर-संशोधन	15.92	
29	अनुग्रह भत्ता का गैर संशोधन	5.46	
	कुल	**22,885.13**	**51870.70**
	कुल योग		**74755.83**

अनुलग्नक - 7

(पैराग्राफ 4.6 के संदर्भ में)

अधिक भुगतान, जिनकी वसूली नहीं की गई

कुछ उल्लेखनीय मामले निम्नलिखित थेः-

- सी पी पी सी, एस बी आई, दिल्ली को जुलाई 2016 तक 3108 पेंशनरों से ₹34.87 करोड़ की वसूली करनी थी, परंतु 2504 पेंशनरों से कोई वसूली नहीं की जा रही थी, जिसमें ₹29.82 करोड़ का अधिक भुगतान सम्मिलित था।

- 31 मार्च 2016 तक सी पी पी सी, एस बी आई, पटना को 1531 पेंशनरों से ₹13.20 करोड़ की वसूली करनी थी।

- आश्रय परियोजना की लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि 1421 मामलों में 31/03/2016 तक डी पी डी ओ द्वारा ₹10.14 करोड़ का अधिक भुगतान किया गया था, परंतु केवल 1382 मामलों में वसूली की जा रही थी, जिसमें ₹9.88 करोड़ का अधिक भुगतान सम्मिलित था। सात मामलों में, प्रति माह केवल ₹1.00 की दर से वसूली की जा रही थी, जिसका तात्पर्य था कि अधिक भुगतान की गई राशि को पेंशनरों के जीवित रहते कभी भी वसूल नहीं किया जा सकेगा।

- सी पी पी सी, एस बी आई, गुवाहटी में, 179 पेंशनरों के प्रति ₹89.22 लाख की राशि बकाया थी।

- 2011-2012 से 2015-16 के दौरान 344 पेंशनरों की वार्षिक पहचान नहीं की गई, जिसके फलस्वरूप डी पी डी ओ, मेरठ द्वारा पहचान की देय तिथि के बाद ₹1.91 करोड़ का वितरण किया गया। इसके अतिरिक्त, दिवंगत पेंशनरों के विषय में वसूली के बकाया मामले 85 से 154 तक बढ़ गए और मार्च 2013 से मार्च 2016 के दौरान यह राशि ₹11.80 लाख से ₹25.48 लाख तक बढ़ गई।

अनुलग्नक -8

(पैराग्राफ 4.7 के संदर्भ में)

रक्षा पेंशनरों के ई-स्क्रॉल और प्रोफाइलों में बेमेलपन

क्र. सं.	पी डी ए का नाम	अभिलेखों की कुल संख्या	स्क्रॉल अभिलेखों की संख्या जहाँ बैंक खाता प्रोफाइल से नहीं मिल रहा था (प्रतिशतता)	स्क्रॉल अभिलेखों की संख्या जिनमें नाम नहीं थे (प्रतिशतता)	स्क्रॉल अभिलेखों की संख्या, जिनमें पी पी ओ संख्या नहीं थी (प्रतिशतता)	स्क्रॉल अभिलेखों की संख्या जिनमें गलत या शून्य जन्म तिथि थी (प्रतिशतता)	अभिलेखों की संख्या जिनमें सेवामुक्ति के दिनांक को 60 वर्ष से अधिक आयु शामिल है (प्रतिशतता)	एक ही पी पी ओ और भिन्न खाता संख्याओं से युक्त अभिलेखों की संख्या (प्रतिशतता)	एक ही खाता संख्या और भिन्न पी पी ओ से युक्त अभिलेखों की संख्या (प्रतिशतता)	ऐसे अभिलेखों की संख्या जो पी सी डी ए (पी) के अभिलेखों के साथ मेल नहीं खाते थे
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	भारतीय स्टेट बैंक, दिल्ली	1,39,78,778		2,08,844 (1.49%)	179	57 (0.02%)	166 (0.05%)	594	3	85,761
2	भारतीय स्टेट बैंक, पंचकुला	85,01,880	2,68,466 (3.16%)	179		2,26,985 (2.67%)	662 (0.01%)	2,622 (0.03%)	224	65,281
3	भारतीय स्टेटे बैंक, चैन्नई	41,26,958			32	40	87 (0.08%)	802 (0.02%)	3,626 (0.09%)	18,794
4	भारतीय स्टेट बैंक, नवी मुंबई	86,60,755	4,41,980 (5.10%)	137		19 (0.01%)	89 (0.04%)	75	63	33,725
5	भारतीय स्टेट बैंक, गुवाहटी	39,57,192		16,633 (0.42%)		209 (0.32%)	179 (0.27%)			0
6	भारतीय स्टेट बैंक, पटना	23,11,092	51,713 (2.24%)		1,38,991 (6.01%)	132	359 (0.02%)	704 (0.03%)	32,096 (1.39%)	20,263
7	पंजाब नेशनल बैंक, चैन्नई	47,308	78 (0.16%)		57 (0.12%)	16 (0.62%)				0

क्र. सं.	पी डी ए का नाम	अभिलेखों की कुल संख्या	स्क्रॉल अभिलेखों की संख्या जहाँ बैंक खाता प्रोफाइल से नहीं मिल रहा था (प्रतिशतता)	स्क्रॉल अभिलेखों की संख्या जिनमें नाम नहीं थे (प्रतिशतता)	स्क्रॉल अभिलेखों की संख्या, जिनमें पी पी ओ संख्या नहीं थी (प्रतिशतता)	स्क्रॉल अभिलेखों की संख्या जिनमें गलत या शून्य जन्म तिथि थी (प्रतिशतता)	अभिलेखों की संख्या जिनमें सेवामुक्ति के दिनांक को 60 वर्ष से अधिक आयु शामिल है (प्रतिशतता)	एक ही पी पी ओ और भिन्न खाता संख्याओं से युक्त अभिलेखों की संख्या (प्रतिशतता)	एक ही खाता संख्या और भिन्न पी पी ओ से युक्त अभिलेखों की संख्या (प्रतिशतता)	ऐसे अभिलेखों की संख्या जो पी सी डी ए (पी) के अभिलेखों के साथ मेल नहीं खाते थे
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**	**(8)**	**(9)**	**(10)**	**(11)**
8	पंजाब नेशनल बैंक, पटना	7,21,856	393 (1.51%)	3,373 (0.47%)		5,069 (0.70%)				13,100
9	पंजाब नेशनल बैंक, लुधियाना	31,41,159	7143 (0.23%)		2,696 (0.08%)	1,612 (0.05%)				0
10	पंजाब नेशनल बैंक, चंडीगढ़	26,75,656	5,224 (5.30%)		26	17,273 (0.65%)				1,055
11	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	5,28,498	3,10,663 (58.78%)		29 (0.01%)	2,50,776 (47.45%)	117 (0.02%)	339 (0.06%)	6	24,002
12	इलाहाबाद बैंक	7,30,684	14,109 (1.93%)			19005 (2.60%)	8,767 (1.2%)	31		0
13	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	28,79,380		602 (0.02%)		373 (0.01%)	1,379 (0.05%)	1,920 (0.07%)	17	44,956
14	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर	34,96,394	2,274 (3.30%)	1,015 (0.03%)	24,441 (0.70%)	2,24,837 (6.43%)	1,50,959 (4.32%)	763 (0.02%)	246 (0.01%)	26,639
15	बैंक ऑफ बडौदा	23,79,619				23,00,116 (96.65%)	13			25,089
16	आन्ध्रा बैंक	5,77,600								8,304
17	डी पी डी ओ	1,28,16,659	1472			2,140 (0.01%)		1,846 (0.01%)	1,846 (0.01%)	1,48,900
	कुल	**7,15,31,468**	**11,03,515**	**2,30,783**	**1,66,451**	**30,48,659**	**1,62,777**	**9,696**	**38,127**	**5,15,869**

अनुलग्नक - 9

(पैराग्राफ 5.3.2 के संदर्भ में)

डी एम ए में अनियमितताएं

(i) आर बी आई के स्क्रॉल नंबर के बिना एजेंसी बैंकों को ₹380 करोड़ की अदायगी की, जैसाकि वर्ष 2015-16 के लिए आई सी आई सी आई, एच डी एफ सी और पी एन बी के सी पी पी सी के 04 डी एम ए विवरणों से स्पष्ट था। जब इस संबंध में बताया गया तो आर बी आई ने स्क्रॉल नंबरों की अनिवार्य प्रविष्टि को सुनिश्चित करने के लिए सभी संपर्क कक्षों को सलाह दी और ऐसा न करने पर सी बी एस में उस लेनदेन को अधिकृत नहीं माना जाएगा।

(ii) आर बी आई ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को ₹1150 करोड़ की अदायगी की, जब स्क्रॉल के प्रति दावा की गई राशि को भुगतान वाले स्तंभ में दर्शाया गया था, किंतु स्क्रॉल नंबर को प्राप्ति वाले स्तंभ में दर्शाया गया था। इससे ज्ञात हुआ कि अदायगी किसी अनुसमर्थन के बिना की गई थी।

(iii) 02 डी एम ए में (वर्ष 2015-16 के 110 डी एम ए विवरणों में से) वेतन स्क्रॉल नंबर के सामने राशि को शून्य दिखाया गया था।

(iv) सात वर्षों से अधिक समय के बाद दावे प्रस्तुत करने के लिए कारणों का विश्लेषण किए बिना आर बी आई ने लेनदेन दिनांक 12/12/2007 के प्रति 23/06/2015 को ₹17,70,430/- और लेनदेन दिनांक 01/05/2007 के प्रति 21/08/2015 को ₹13,36,537/- की अदायगी एस बी आई को की।

(v) दो अलग दिनांकों में बी ओ बी पटना, (केंद्रक शाखा) की लेनदेन के लिए एक ही स्क्रॉल नंबर का उल्लेख हुआ था, उदाहरणार्थ, ₹89,77,376.00 और ₹7,082.00 के लिए लेनदेन दिनांक क्रमशः 02/06/2015 और 31/07/2015 के सामने एक ही वेतन स्क्रॉल नंबर 03 का उल्लेख हुआ था। ₹1,07,005/- और ₹43,592/- की राशि के लिए लेनदेन दिनांक क्रमशः 11/02/2016 और 09/05/2015 के सामने वेतन स्क्रॉल नंबर 89 का उल्लेख हुआ था।

(vi) सी पी पी सी, केनरा बैंक, बेंगलूर की लेनदेन में वेतन स्क्रॉल क्रमांक का क्रमानुसार उल्लेख नहीं हुआ था, उदाहरणार्थ, वेतन स्क्रॉल क्रमांक 50 दिनांक 17/07/2015 का उल्लेख वेतन स्क्रॉल क्रमांक 49 दिनांक 01/08/2015 के पहले आता है। इसी प्रकार, वेतन स्क्रॉल क्रमांक 43 दिनांक 20/07/2015 का उल्लेख वेतन स्क्रॉल क्रमांक 42 दिनांक 23/07/2015 के पहले आता है; वेतन

स्क्रॉल क्रमांक 53 दिनांक 11/08/2015 का उल्लेख क्रमांक 52 दिनांक 18/08/2015 के पहले आता है; वेतन स्क्रॉल क्रमांक 56 दिनांक 19/07/2015 का उल्लेख क्रमांक 55 दिनांक 27/08/2015 के पहले आता है।